राजस्थान सरकार
विधि (संहिताकरण) विभाग

विषयः— केन्द्रीकृत वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों, विनियमों, कानूनी अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि को अपलोड किये जाने बाबत।

संदर्भः— इस विभाग की समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 27.10.2017

केन्द्रीकृत वेबसाईट पर समस्त प्रशासनिक विभागों के अधिनियमों, नियमों,विनियमों, कानूनी अधिसूचनाओं, परिपत्र आदि के सुगमता एवं सही रूप में अपलोड किये जाने बाबत विधि विभाग के पत्र दिनांक 27.10.2017 के अनुसार दिनांक 01.11.2017 को नोडल अधिकारी एवं प्रोग्रामर/सूचना सहायक की मीटिंग तथा दिनांक 02.11. 2017 व 03.11.2017 को वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस कार्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण, संवेदनशील तथा गम्भीर प्रवृत्ति का होने के कारण यह अपेक्षा की गयी थी कि कम से कम उप–विधि परामर्शी (डी.एल.आर.) या उप सचिव स्तर के पर्याप्त वरिष्ठ एवं अनुभवी स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये और मीटिंग एवं वर्कशॉप में प्रोग्रामर/सूचना सहायक के साथ नियुक्त/अधिकृत किया जाएगा। इसके विपरीत मीटिंग एवं वर्कशॉप में कुछ विभागों से कनिष्ठ लिपिक या वरिष्ठ लिपिक स्तर के कर्मचारी उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त मीटिंग में लगभग 50 प्रतिशत प्रतिनिधि (नोडल अधिकारी व प्रोग्रामर/सूचना सहायक) उपस्थित नहीं हुए एवं वर्कशॉप में भी कुछ विभागों के दोनों प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। इससे केन्द्रीकृत वेबसाईट के कार्य पर विपरीत प्रभाव पडने की सम्भावना है।

इस कार्य हेतु आयोजित मीटिंग एवं वर्कशॉप में उपस्थित विभागीय प्रतिनिधियों के साथ इस काम में आने वाली कठिनाईयों एवं आशंकाओ के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। विधि विभाग तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से समस्त कठिनाईयों तथा आशंकाओं का समाधान किये जाने के हर सम्भव प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद मीटिंग, वर्कशॉप में प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति, समुचित योग्य तथा दक्ष प्रतिनिधियों को नियुक्त/अधिकृत नहीं करने, डाटा अपलोड, अपडेट करते वक्त आने वाली कठिनाईयों, आशंकाओं आदि कारणों को देखते हुए एक बार पुनः वर्कशॉप आयोजित किया जाना उचित समझा गया है जिससे समस्त डाटा सुगमतापूर्वक तथा त्रुटिरहित तरीके से केन्द्रीकृत वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों–परिस्थितियों, कार्य की प्रकृति की गम्भीरता एवं इसके त्रुटिरहित तरीके से किए जाने को देखते हुए **दिनांक 10.11.2017 को सचिवालय स्थित कम्प्यूटर लैब** में पुनः वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है।

आपसे पुनः निवेदन है कि सर्वप्रथम इस कार्य के लिए अशा.टीप दिनांक 27.10.2017 के अनुसार कम से कम डी.एल.आर. या उप सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करावें और वर्कशॉप में प्रोग्रामर/सूचना सहायक के साथ उपस्थित रहने के लिए पाबंद करावें। **यदि नोडल अधिकारी एवं प्रोग्रामर/सूचना सहायक के अनुसार पूर्व में आयोजित मीटिंग एवं वर्कशॉप डाटा अपलोड करने एवं अपडेट करने के उददेश्य से पर्याप्त थी तब उन्हें दिनांक 10.11.2017 को होने वाली वर्कशॉप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् वर्कशॉप में उपस्थित होना अथवा नहीं होना विभाग के इन प्रतिनिधियों की सन्तुष्टि पर निर्भर रहेगा।** इसी के साथ आपसे यह भी निवेदन है कि वर्कशॉप में आपके प्रशासनिक विभाग से संबंधित अधीनस्थ विभागों, कॉर्पोरेशन आदि की पूरी सूची सहित नोडल अधिकारी एवं प्रोग्रामर/सूचना सहायक से संबंधित ई–मेल आई.डी. तथा मोबाईल नं0 निर्धारित प्रपत्र में वर्कशॉप के दौरान मांगे गए थे, उनमें से कुछ प्रतिनिधियों ने यह सूचना पूरी एवं स्पष्ट रूप में नहीं दी है। अतः आप द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत/नियुक्त नोडल अधिकारी एवं प्रोग्रामर/सूचना सहायक से संबंधित वांछित सूचना संलग्न प्रारुप के अनुसार दिनांक 10.11.2017 तक भिजवाने का कष्ट करें।

यहा यह भी निवेदन है कि केन्द्रीकृत वेबसाईट का कार्य काफी समय से लंबित है तथा इसमें अभी तक ठोस व सारवान् प्रगति नहीं हो पाई है। इस कार्य को माननीय उच्च न्यायालय तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा काफी गम्भीरता से लिया जा रहा है। अतः कृपया आप इस कार्य में व्यक्तिगत रूचि लेकर **दिनांक 15.11.2017 तक अनिवार्य रूप से** एवं त्रुटिरहित तरीके से पूरा करवाना सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः— 1.वर्कशॉप दिनांक 10.11.2017 का कार्यकम
2. वांछित सूचना का प्रारूप

07/11/17

प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति. मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अशा.टीप प. 15(3)विधि/संहिता/2017 पार्ट, जयपुर, दिनांक .11.2017

Program of the workshop

The workshop will be organized on 10th of November, 2017 at Computer Lab situated near Dispensary in Secretariat. The technical aspects regarding uploading of the Acts, Rules, Regulations, Statutory Notifications and Circulars will be discussed and the Nodal Officers with their technical assistants (Programmer or Informatics Assistant) shall ensure their presence and participation in the workshop as per the schedule given below:-

10-11-2017

10.30a.m. to 11.30a.m.	11.30a.m. to 12.30p.m.	12.30p.m. to 1.30p.m.	02.30p.m. to 03.30p.m.	03.30p.m. to 4.30p.m.
1. कार्मिक विभाग	1. सैनिक कल्याण विभाग	1. कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1. पर्यटन विभाग
2. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	2. वन विभाग	2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ESI) विभाग	2. पशुपालन विभाग	2. पर्यावरण विभाग
3. सामान्य प्रशासन विभाग	3. आबकारी विभाग	3. शिक्षा विभाग (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सहित)	3. मत्स्य विभाग	3. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
4. सम्पदा विभाग	4. कराधान विभाग	4. तकनीकी शिक्षा विभाग	4. डेयरी विभाग	4. महिला एवं बाल विकास विभाग
5. गृह	5. कृषि विभाग	5. कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	5. भू-जल विभाग	5. युवा मामले एवं खेल विभाग
6. न्याय विभाग	6. कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	6. संस्कृत शिक्षा विभाग	6. सहकारिता विभाग	6. परिवहन विभाग
7. राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो	7. खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग	7. विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय	7. पंचायती राज विभाग	7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
8. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग	8. स्वायत्त शासन,नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।	8. संसदीय कार्य विभाग	8. गोपालन विभाग	8. नीति निर्धारण प्रकोष्ठ- मुख्यमंत्री सचिवालय
9. कारागृह विभाग	9. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	9. आयोजना विभाग	9. इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
10. वित्त विभाग	10. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	10. आयोजना (जनशक्ति) विभाग	10. मंत्रिमण्डल सचिवालय	10. ग्रामीण विकास विभाग
11. उद्योग विभाग	11. आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग	11. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	11. सांख्यिकी विभाग	11. राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग
12. खान विभाग	12. सार्वजनिक निर्माण विभाग	12. जल संसाधन विभाग	12. राजकीय उपक्रम विभाग	12. नागरिक उड्डयन विभाग
13. राजस्व विभाग	13. श्रम विभाग	13. निर्वाचन विभाग	13. भाषा विभाग	13. अप्रवासी भारतीय विभाग
14. उपनिवेशन विभाग	14. नियोजन विभाग	14. पुनर्वास विभाग	14. जन अभियोग निराकरण विभाग	14. अल्पसंख्यक मामलात विभाग
15. देवस्थान विभाग	15. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	15. ऊर्जा विभाग	15. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	15. उपभोक्ता मामले विभाग
16. वक्फ विभाग				

नोट : विभागीय प्रतिनिधि अपनी कठिनाईयों एवं दुविधाओं को वर्कशॉप से पहले दिनांक **09.11.2017** तक ई-मेल **oic.digitization@rajasthan..gov.in** पर भिजवाने का कष्ट करें। जिससे वर्कशॉप में बेहतर तरीके से चर्चा हो सके।

Form To be filled by Administrative department and to be submitted during Workshop

Name of administrative department :--
(To be filled by Nodal Officer & Programmer/I.A.)

a) Department Details

S. No.	Name of Administrative Department	Name of Sub- Department /Groups /Corporation (if any)

b) Nodal Officer Details

Name of Nodal Officer	
Designation	
Email ID	
Mobile Number	

c) IA (Informatics Assistant)/Programmer Details

Name of IA (Informatics Assistant)/Programmer	
Designation	
Email ID	
Mobile Number	
SSO ID	

Form To be filled by Administrative department and to be submitted during Workshop

Name of administrative department :--
(To be filled by Nodal Officer & Programmer/I.A.)

a) Department Details

S. No.	Name of Administrative Department	Name of Sub- Department /Groups /Corporation (if any)

b) Nodal Officer Details

Name of Nodal Officer	
Designation	
Email ID	
Mobile Number	

c) IA (Informatics Assistant)/Programmer Details

Name of IA (Informatics Assistant)/Programmer	
Designation	
Email ID	
Mobile Number	
SSO ID	